

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड,

"सरस संकुल" जवाहर लाल नेहरू मार्ग, 302017

क्रमांक:आरसीडीएफ/संस्था/एफ.1(ई-स्टेआर्डर)/2018/43910-56 दिनांक : 17-1-18


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक आरसीडीएफ/संस्था/एफ.1(ई)/2012/32270-313 दिनांक 27.11.2012 एवं 52806-50 दिनांक 23.02.2017 में आंशिक संशोधन करते हुये राज्य स्तरीय सर्तकता कार्य के अन्तर्गत मुख्य सर्तकता अधिकारी, संस्थागत विकास अधिकारी के स्थान पर महाप्रबन्धक (गुण नियंत्रण) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। राज्य स्तरीय सर्तकता टीम का गठन किये जाने के लिए निम्नानुसार पैनल बनाया जाता है :-

1. श्री जयदेव सिंह, महाप्रबन्धक (गुण नियंत्रण) - नोडल अधिकारी
2. डॉ० सी० एस० खोसला, प्रबन्धक (पीएण्डआई), कृ.सं अनुभाग
3. श्री संदीप आहूजा, उप प्रबन्धक (विपणन), विपणन अनुभाग
4. डॉ० महेश शर्मा, उप प्रबन्धक (कृ.सं), एमएण्डपी अनुभाग
5. डॉ० ए० के० अग्रवाल, उप प्रबन्धक (विपणन), विपणन अनुभाग
6. श्री एम० एस० चौहान, सहायक प्रबन्धक (गुण नियंत्रण), गुण नियंत्रण अनुभाग


उक्त अधिकारियों में से आवश्यकतानुसार 2-3 अधिकारियों को निरीक्षण पर भेजे जाने हेतु मुख्य सर्तकता अधिकारी के आदेश अनुसार प्रस्थान करेंगे। जिसमें औचक निरीक्षण की गोपनीयता एवं सर्तकता दल की विश्वसनीयता बनी रहे। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

यह आदेश प्रबन्ध संचालक, आरसीडीएफ के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जाता है।


(डॉ० शिव कुमार शर्मा)
प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन)

प्रतिलिपि:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, आरसीडीएफ, जयपुर।
2. प्रबन्ध संचालक, समस्त जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०।
3. प्रबन्धक/प्रभारी, समस्त इकाई, आरसीडीएफ, जयपुर।
4. सम्बन्धित अधिकारी
5. निजी पत्रावली सम्बन्धित अधिकारी।
6. कार्यालय आदेश/रक्षित पत्रावली।


महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन)